

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

आ दे श

कमांक 625/दो-11-01/2004(भाग-2),

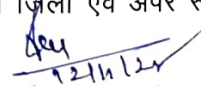
रीवा, दिनांक 12 नवम्बर 2025

उन्नीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के स्थानांतरण के फलस्वरूप उक्त न्यायालय रिक्त हो जाने से प्रशासकीय कार्य के सुचारु संचालन हेतु इस स्थापना पर गठित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना समिति के प्रतिवेदन दिनांक 12.11.2025 से सहमत होते हुए प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानांतरण आदेश जारी किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमार्क
1.	श्री कमर जलील खान, स0ग्रे0-3	निष्पादन लिपिक न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती आरती सिंह) के न्यायालय से	सहायक सांख्यिकी लिपिक, कार्यालय अनुभाग, रीवा	श्री रामकृष्ण खरे के स्थान पर
2.	श्री ऋषिकांत पाण्डेय, स0ग्रे0-3	प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री शैलेन्द्र रैकवार) के न्यायालय से	निष्पादन लिपिक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती आरती सिंह) के न्यायालय में	श्री कमर जलील खान के स्थान पर
3.	श्री रविशंकर कोल, स0ग्रे0-3	प्रस्तुतकार, न्यायालय उन्नीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा (श्री अशरफ अली) (रिक्त न्यायालय) से	प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री शैलेन्द्र रैकवार) के न्यायालय में	श्री ऋषिकांत पाण्डेय के स्थान पर

नोट :-

1. स्थानांतरित कर्मचारीगण उक्त आदेश का पालन दिनांक 17.11.2025 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. श्री रामकृष्ण खरे, स0ग्रे0-3 (डी0एस0ए0) के स्थानांतरण से कम्प्यूटर अनुभाग का कार्य प्रभावित होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक-598/दो-11-01/2004 (भाग-2) रीवा, दिनांक 03 नवम्बर 2025 से श्री रामकृष्ण खरे, स0ग्रे0-3 का सहायक सांख्यिकी लिपिक के पद पर किया गया स्थानांतरण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
3. श्री रविशंकर कोल, स0ग्रे0-3, प्रस्तुतकार न्यायालय उन्नीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रीवा अपना सम्पूर्ण प्रभार श्री रामनरेश पटेल, निष्पादन लिपिक, न्यायालय उन्नीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय) रीवा को सौंप कर भारमुक्त होंगे।


(राकेश मोहन प्रधान)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 रीवा, म0प्र0

पृ०क०-5632/दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 12 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी अधिकारी कार्यालय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
2. न्यायालय उन्नीसवे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश(रिक्त न्यायालय) रीवा।
3. न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा।
4. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा।
5. पी०ए० टू माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संबंधित कर्मचारी-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. डी०एस०ए०/एस०ए० कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.आर.एम.एस./ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
9. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


7/21/11/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म०प्र०